फैक्स एवं
ई-मेल

पत्र संख्या जी0बी0टी0 30-50/2015 4555/जे0,

विधि विभाग

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,
बुद्धमार्ग, पटना।

पटना दिनांक 20.07.15

विषय:- परिवार न्यायालय के लिए नियुक्त एमिकस क्युरी के पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि Family Court Act, की धारा-13 में प्रावधान है कि साधारणतः कोई भी पक्षकार As a matter of right अपने अधिवक्ता के द्वारा किसी मुकदमा या कार्रवाई में प्रतिनिधित्व नहीं होगा। अगर न्यायालय को किसी कानूनी विन्दु पर किसी विधिज्ञ से सहायता लेना है तो वह एमिकस क्युरी नियुक्त कर सकता है।

उक्त प्रावधान के तहत परिवार न्यायालय द्वारा किसी मुकदमें में एमिकस क्युरी की नियुक्ति की जाती है तो उसके पारिश्रमिक का भुगतान बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकार में Legal Aid Head की राशि से एमिकस क्युरी के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाय। इसके लिए Bihar Family Court Rules, 2011 के नियम-8(ii) के अन्तर्गत एमिकस क्युरी को व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अपर लोक अभियोजक के शुल्क के बराबर भुगतान किया जायेगा।

अतः उक्त के आलोक में तदनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाय। इसके लिए सभी परिवार न्यायालयों को विभागीय स्तर से सूचित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या 4555/जे0, पटना, दिनांक 20.07.15

प्रतिलिपि:- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर को उनके पत्र संख्या 79/2015, दिनांक-19.05.2015 एवं निबंधक (स्थापना), उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्र संख्या-32395, दिनांक-06.06.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या 4555/जे0, पटना, दिनांक 20.07.15

प्रतिलिपि: सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार एवं सभी प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (वैशाली, हाजीपुर को छोड़कर), बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।